

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/

1/9


दिनांक - 21/1-19

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 कुम्भाराम पुत्र चनणाराम जाति माली निवासी माडपुरा सानी तहसील व जिला बाड़मेर।		1 जगूराम पुत्र बाबूलाल 2 तीजों पत्नी चुतराराम 3 गोधूराम पुत्र पोकरराम 4 हड़मान जाति अर्जुनराम 5 सोनाराम पुत्र मोटूराम जाति माली निवासी माडपुरा सानी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-46/2018 दिनांक- 21.01.2019

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा माडपुरा सानी पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 224 रकबा 0.01 बीघा, खसरा संख्या 225 रकबा 0.01 बीघा व खसरा संख्या 226 रकबा 07.08 बीघा कुल रकबा 07.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर


दिनांक- 21/1-19

क्रमांक :- रीडर/2019/

120-123

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. कुम्भाराम पुत्र चनणाराम जाति माली निवासी माडपुरा सानी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जगूराम पुत्र बाबूलाल वगैराह जाति माली निवासी माडपुरा सानी तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर